

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती गीता बनाम शिवनारायण (वर्ग 1)

किस्म मुकदमा ... फाठपत्र 111-128

नं० 123 सन् 2023

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

5-6-23

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 23-6-23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक क्लर्क माण्डल

24/6/23

पजावली महगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत मैला में पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद शामिल होकर छाप्त हुए जिसे शाठपठ किये गये। प्रार्थीगण का शाठपठ स्वीकार किया जाकर विधायक से लिखा जाकर शाठपठ किया गया। पजावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

हुक्मी चन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023



राजस्थान - सरकार
 प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीछारी अधिकारी - हुकमीचन्द रोहतागिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 123/23 प्रा.पत्र

1- श्रीमती गीता (पं०) श्री मनोहरलाल शहाजग निवासी: गाण्डल तहसील-गाण्डल (तहसील)

-प्राथी

बनाम

1- श्री शिवनारायण ड।० श्री लंशीलाल बिड़ना गिवासी: गाण्डल तहसील-गाण्डल (तहसील)
 (सुधामित्र प्राध्वरकम्प)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक - 24.6.23

::आदेश::

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गाण्डल पटवार हत्का गाण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 8057, 8058, 8062 कुल किता 03 रकबा 1.0497 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा विन्दु नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्राथी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगटी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.06.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगटी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्राथी की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गाण्डल पटवार हत्का गाण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 8057, 8058, 8062 कुल किता 03 रकबा 1.0497 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगटी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगटी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक गाण्डल को 600/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगटी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगटी नहीं की जावे।

हुकमीचन्द रोहतागिया
 उपखण्ड अधिकारी
 माण्डल जिला भीलवाड़ा
 प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगटी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहतागिया
 उपखण्ड अधिकारी माण्डल
 प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023